

1. उपनिदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
उदयपुर/जोधपुर/जयपुर/भरतपुर/
कोटा/बीकानेर।
2. सहायक निदेशक
निदेशालय अजमेर। (आहरण वितरण अधिकारी)

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 अन्तर्गत किराये के वाहन हेतु स्वीकृति/बजट आवंटन बाबत।
प्रसंग:- शासन उप सचिव आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग राज. जयपुर के पत्रांक:
प.18(6)आयु./2015 दिनांक 26.05.17,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा शासन की स्वीकृति प्राप्त होने पर चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आपको औषधालयो/चिकित्सालयो के निरीक्षण एवं प्रभावी मोनीटरिंग हेतु बजट मद 2210-02-101-08-01 उपमद 36-वाहन किराया प्रतिबद्ध के अन्तर्गत निम्नानुसार वाहन किराये पर लेने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद्वारा जारी की जाती हैं। वाहन किराये पर रखने बाबत वांछित कार्यवाही यथा टेण्डर /अनुबंध वित्त विभाग के परिपत्र कमांक:एफ. 9(1)एफ.डी./1/ बजट/2015/दिनांक 15.07.15 में दिये गये बिन्दुवार निर्देशों एवं व्यवस्था के अनुसार अमल में लायी जावे।

क्र.सं.	आहरण वितरण अधिकारी का नाम	किराये पर वाहन लिये जाने की संख्या	राशि रु हजारों में	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.	5.
1.	निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर	1 अतिरिक्त निदेशक हेतु 1 वित्तीय सलाहकार 1 उपनिदेशक संभाग अजमेर	900	अधिकतम 2500 किमी प्रति माह मासिक आधार पर (प्रथम 2 वाहन) अधिकतम 2200 किमी प्रति माह मासिक आधार पर एक वाहन
2.	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जोधपुर	1	200	अधिकतम 2200 किमी प्रति माह मासिक आधार पर
3.	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग भरतपुर	1	200	
4.	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग जयपुर	1	200	
5.	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग बीकानेर	1	200	
6.	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग कोटा	1	200	
7.	उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग उदयपुर	1	200	

1. आवंटित बजट से अधिक व्यय नहीं करे किसी भी दशा में अतिरिक्त आवंटन नहीं किया जाएगा अनावश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करे।

2. किराये के वाहन संबंधी कार्यवाही सा ले वि नियम एवं राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अन्तर्गत की जावे।

यह स्वीकृति /सहमति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई डी संख्या 151700577 दिनांक 23.05.2017 के अनुसरण में जारी की गयी है।

(स्नेहलता पंवार)

नि दे श क

दिनांक: 30-5-17

कमांक:प.2/लेखा-2/बजट/2017-18 / 10527-34

प्रतिलिपि- 1. प्रभारी कम्प्यूटर सैल को विभाग की वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।

वित्तीय सलाहकार